



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 2019/वैशाख 30, 1941

No. 167]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 2019/VAISAKHA 30, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 15 मई, 2019

बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों के कार्यकाल में विस्तार

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स/4/155/2019.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 3अ के अनुसार, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्यों, अधिसूचना फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स/2/139/2017 दिनांकित 21 मार्च, 2017 एवं फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स/10/147/2017 दिनांकित 5 दिसम्बर, 2017 के द्वारा नियुक्त, का कार्यकाल 24 जुलाई, 2019 तक विस्तार हेतु यह अधिसूचना बनाता है जो 25 मई, 2019 से प्रभावी होगी:

1. अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
2. अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम
4. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई पुडेन्शियल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6. अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, स्टार हेल्थ एण्ड अलॉयड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7. निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकादमी
8. अध्यक्ष, भारतीय बीमांकक संस्थान
9. अध्यक्ष, भारतीय बीमा दलाल संघ
10. अध्यक्ष, भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान
11. बीमा लोकपाल, गुवाहाटी
12. महा सचिव, भारतीय बीमा संस्थान
13. सचिव, साधारण बीमा परिषद
14. सचिव, जीवन बीमा परिषद
15. प्रबंध निदेशक, वाइडल हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड

16. अध्यक्ष, एसोचैम, राष्ट्रीय बीमा परिषद
17. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएएमएस बीमा रिपोज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एसई, भारत स्थित शाखा
20. एम. राजवर्धन रेड्डी
21. अदनान महमूद

डॉ. सुभाष सी. खुंटिया, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा. /52/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

Hyderabad, the 15th May, 2019

Extension of Term of Office of Members of The Insurance Advisory Committee

F.No. IRDAI/IAC/4/155/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and in terms of Regulation 3A of the Insurance Advisory Committee (Meetings) Regulations, 2000, the Authority hereby makes the following notification, effective from 25th May, 2019, extending the term of office up to 24th July, 2019 of the following members of the Insurance Advisory Committee appointed vide Notification F. No. IRDAI/IAC/2/139/2017 dated 21st March, 2017 and F. No. IRDAI/IAC/10/147/2017 dated 5th December, 2017:

1. Chairman, Life Insurance Corporation of India
2. Chairman-cum-Managing Director, National Insurance Co. Ltd.
3. Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India
4. MD & CEO, ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
5. MD & CEO, Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
6. Chairman-cum-Managing Director, Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.
7. Director, National Insurance Academy
8. President, Institute of Actuaries of India
9. President, Insurance Brokers' Association of India
10. President, Indian Institute of Insurance Surveyors & Loss Assessors
11. Insurance Ombudsman, Guwahati
12. Secretary General, Insurance Institute of India
13. Secretary, General Insurance Council
14. Secretary, Life Insurance Council
15. Managing Director, Vidal Health TPA Private Ltd.
16. Chairman, ASSOCHAM, National Council for Insurance
17. Managing Director & CEO, Indian Bank
18. Chief Executive Officer, CAMS Insurance Repository Services Ltd.
19. Chief Executive Officer, XL Insurance Co. SE, Branch in India
20. M.Rajavardhan Reddy
21. Adnan Mahmood

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman
[ADV.T.-III/4/Exty./52/19]